मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 40/2016 वादपत्र धारा 188, 209 आर.टी.एक्ट.

1–छोगालाल पिता बाबरू डांगी निवासी बिनायका रोड डांगियो का कुआ बोहेडा तहसील बडीसादडी

–वादी

बनाम

1– लालुराम पिता उंकार रावत निवासी खांखरिया खेड़ी तहसील बडीसादड़ी

–प्रतिवादी

वादी की ओर से वकील श्री पंकज मेहता तथा प्रतिवादी की ओर से Exparte की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम डिक्री के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि मौजा बोहेड़ा हल्का बोहेड़ा की आराजी नं. 4647/2362 रकबा 6 बिघा 18 बिस्वा पर प्रतिवादी कोई रिहायशी या अन्य कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नहीं करे न करावे, वादी को वादग्रस्त आराजी का उभयोग उपभोग करने देवे इसमें किसी प्रकार कि दखलदांजी नहीं करे न करावे। यदि दोराने सुनवाई वाद प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी पर कच्चा पक्का निर्माण कार्य कर लेवे तो उसे अधिदेशक निषेधाज्ञा से प्रतिवादी के खर्चे से तुड़वाया जावे।

इस वाद के खर्चे.....X.....प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित.....X..... को दी जावे।
यह आज दिनांक 23.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

मोहर

(प्रवीण कुमार मीणा)RAS
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2025/232 दिनांक :23/12/2025

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।

(प्रवीण कुमार मीणा)RAS
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:22:46 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 40/2016 वादपत्र धारा 188, 209 आर.टी.एक्ट.

1–छोगालाल पिता बाबरू डांगी निवासी बिनायका रोड डांगियो का कुआ बोहेडा तहसील बडीसादडी

–वादी

बनाम

1– लालुराम पिता उंकार रावत निवासी खांखरिया खेड़ी तहसील बडीसादड़ी

–प्रतिवादी

वादी की ओर से वकील श्री पंकज मेहता तथा प्रतिवादी की ओर से Experte की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम डिक्री के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि मौजा बोहेड़ा हल्का बोहेड़ा की आराजी नं. 4647/2362 रकबा 6 बिघा 18 बिस्वा पर प्रतिवादी कोई रिहायशी या अन्य कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नहीं करे न करावे, वादी को वादग्रस्त आराजी का उभयोग उपभोग करने देवे इसमें किसी प्रकार कि दखलदांजी नहीं करे न करावे। यदि दोराने सुनवाई वाद प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी पर कच्चा पक्का निर्माण कार्य कर लेवे तो उसे अधिदेशक निषेधाज्ञा से प्रतिवादी के खर्चे से तुड़वाया जावे।

इस वाद के खर्चे......X... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित...X... को दी जावे।
यह आज दिनांक 23.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

(मोहर: सहायक कलेक्टर बड़ीसादड़ी, सत्यमेव जयते, बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)) मोहर

(प्रवीण कुमार मीणा)RAS
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2025/232 दिनांक : 23/12/2025

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।

(प्रवीण कुमार मीणा)RAS
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

(मोहर: सहायक कलेक्टर बड़ीसादड़ी, सत्यमेव जयते, बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़))

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:22:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस
प्रकरण संख्या :– 40/2016 ई.रे.

1–छोगालाल पिता बाबरू डांगी निवासी बिनायका रोड डांगियो का कुआ बोहेडा तहसील बडीसादडी
–वादी

बनाम

1– लालुराम पिता उंकार रावत निवासी खांखरिया खेड़ी तहसील बडीसादड़ी
–प्रतिवादी

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 188, 209 रा0टी0एक्ट

// निर्णय // **दिनांक :– 23/12/2025**

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि –

1– मौजा बोहेड़ा पटवार हल्का बोहेड़ा तहसील बडीसादड़ी के खतोनी संख्या 314 की आराजी नं. 4647/2362 रकबा 6 बिघा 18 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 6 बिघा 18 बिस्वा स्थित है, उक्त आराजी को वादपत्र में आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।

2– वादग्रस्त आराजी वादी के खातेदारी मे दर्ज है तथा वादग्रस्त आराजी पर वादी काबिज होकर काश्त कर रहा है। वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी का कोई सम्बन्ध सरोहकार नही होते हुए भी प्रतिवादी जबरन वादग्रस्त भूमी के उतर दिशा कि ओर पक्का नव निर्माण कार्य कर रहा है। वादग्रस्त आराजी के उतर दिशा में प्रतिवादी की आराजी स्थित है प्रतिवादी ने उसकी खातेदारी की आराजी में पक्का निर्माण कार्य नही कर वादी की वादग्रस्त आराजी के कुछ हिस्से में भी निर्माण कार्य कर रहा है वादी कि आराजी की पत्थर गढ़ी की हुई है उक्त पत्थरगढ़ी के निशान सर्वेले को छोड़ कर करीब 3–4 फीट वादी की वादग्रस्त आराजी में जेसीबी मशीन से निवं खोद दी व जमीन लेवल तक निवं को पक्की भर दी जो करीब 18–20 फीट लम्बाई में है। जबकि उक्त आराजी कृर्षी भूमी है एवं उस पर पक्का निर्माण कार्य करने का कोई हक एवं अधिकार प्रतिवादी को नहीं है प्रतिवादी बिना किसी प्राधिकृत अनुज्ञा के जबरन अवैध निर्माण कार्य कर रहा है वादी ने कई बार प्रतिवादी को वादग्रस्त आराजी पर निर्माण कार्य नही करने हेतु कहा तो प्रतिवादी ने वादी से लडाई झगड़ा किया वह जबरन लठ बल के आधार पर वादी के खातेदारी की जमीन को हडपने की गरज के अवैध निर्माण कार्य कर रहा है।

3– प्रतिवादी जबरन अवैध समुह बना कर तीव्रगति से निर्माण कार्य करने पर अमादा है जबकि वादग्रस्त आराजी कृर्षी भूमी है एवं वादी के खातेदारी मे दर्ज है उस पर निर्माण कार्य करने का हक एवं अधिकार प्रतिवादी को नहीं है प्रतिवादी वादी को धमकीया दे रहा है ... निर्माण कार्य करके रहेगा प्रतिवादी द्वारा वादी की आराजी में निर्माण कार्य कर लेने से वादी को ... क्षति ... रित होगी प्रतिवादी राजनेतिक पहुच का व्यक्ति है वह वादी को परेशान करने की ... से वादग्रस्त आ... में जेसीबी से निवें खुदवा ही उन्हे पक्की भर दी तथा मौके पर निर्माण सामग्री पड़ी है प्रतिवादी वादी के कब्जे काश्त मे दखलंदाजी रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:22:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

4— वादी कि आराजी के उत्तर दिशा में प्रतिवादी की आराजी की आराजी है वादी कि आराजी का पत्थरगढ़ी करवाई उक्त पत्थरगढ़ी का निशान आज भी मौजुद है जो वादी एवं प्रतिवादी कि आराजी के बिच सीमा तय करता है उक्त पत्थरगढ़ी के सर्वेले से प्रतिवादी की जमीन है लेकिन प्रतिवादी ने जबरन वादी की वादग्रस्त आराजी पर जेसीबी से निवें खोद दी अतः वादी को यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

5— प्रतिवादी जबरन अवैध एवं अनुचित तरिके से वादग्रस्त आराजी पर निर्माण कार्य कर रहा है अतः प्रतिवादी को इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है कि प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी पर कोई कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नही करे न करावे वादग्रस्त आराजी कि यथा स्थिती बनाये रखे। वादग्रस्त आराजी का उपयोग उपभोग वादी को करने देवें इसमें किसी प्रकार कि दखलदांजी नही करे न करावें

6— प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी पर जबरन पक्का निर्माण कार्य कर वादग्रस्त आराजी की स्थिती में परिवर्तन कर देवें तो प्रतिवादी द्वारा किये गये अवैध निर्माण कार्य को प्रतिवादी के खर्चे से अधिदेशक निषेधाज्ञा से तुडवाया जाना न्यायसंगत है। तथा प्रतिवादी ने जो निवें खुदवाई है कृपी भुमी में पत्थर डाले है उसे प्रतिवादी के के खर्चे से हटवाया जावे।

अतः प्रार्थना है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावें।

(अ) प्रतिवादी को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी पर कोई रिहायशी या अन्य कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नही करे न करावे वादी को वादग्रस्त आराजी का उपयोग उपभोग करने देवे इसमें किसी प्रकार कि दखलदांजी नही करें न करावे।

(ब)यदि दोराने सुनवाई वाद प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी पर कच्चा पक्का निर्माण कार्य कर लेवे तो उसे अधिदेशक निषेधाज्ञा से प्रतिवादी के खर्चे से तुडवाया जावे। वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी ने जो निवें पक्की भर दी है उन्हें प्रतिवादी के खर्चे से हटवाया जावे। यदि दोराने सुनवाई वाद प्रतिवादी जबरन वादी के खातेदारी कि आराजी पर अतिक्रमण कर लेवे तो वादी को वादग्रस्त आराजी का कब्जा दिलाया जावे।

प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा निम्न प्रकाश पेश है —

1— वाद पत्र की कलम नं. 1 में अंकित आराजी मौजा बोहेड़ा में स्थित होना स्वीकार है लेकिन उक्त आराजी वादग्रस्त होना स्वीकार नहीं है। वादी ने महज प्रतिवादी को परेशान करने के लिये उक्त आराजी के वादग्रस्त बताते हुए मिथ्या वाद प्रस्तुत किया है।

2— वाद पत्र की कलम नं. 2 का जवाब इस प्रकार है कि प्रतिवादी ने वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की उपरोक्त वर्णित आराजी में कोई पक्का निर्माण कार्य नहीं करवाया है बल्कि वादी की उक्त आराजी के उत्तरी पडोस में प्रतिवादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आ.नं. 2365 स्थित है तथा प्रतिवादी ने अपने खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आ.नं. 2365 की पाली पर ही अपने पुर्वज बावजी बिठाने हेतु पक्का चबुतरा बनाया है जो प्रतिवादी की आराजी की सीमा के अन्दर ही है। वादी की आराजी परकी हुई पत्थरगढ़ी के निशान के काफी अन्दर की और प्रतिवादी की आराजी में ही चबुतरा निर्माण [illegible] है। वादी ने उक्त कलम में सभी तथ्य मिथ्या एवं मन गढन्त अंकित किये है जो अस्वीकार है

3— वाद पत्र की कलम सं. 3 सर्वथा गलत एवं मिथ्या है जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। वादी की आराजी में प्रतिवादी द्वारा कोई अवैध निर्माण [illegible] रहा है न ही प्रतिवादी द्वारा वादी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:22:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

किसी प्रकार की कोई धमकियां दी गई है वादी की आराजी में प्रतिवादी द्वारा कोई निर्माण कार्य ही नहीं करवाया जा रहा है तो वादी को भारी क्षति कारित होने का प्रशन ही पैदा नहीं होता है प्रतिवादी गरीब व्यक्ति है तथा वादी पैसे वाला होकर इसके पास धन बल एवं जब बल दोनों होकर वादी पटेल है तथा प्रभावशाली व्यक्ति है जो महज प्रतिवादी को परेशान करने के लिये एवं प्रतिवादी की आराजी नं. 2365 में बलपूर्वल कब्जा करने की नियत से वादी ने प्रतिवादी को दबाव में लेने के आशय से यह मनगढन्त एवं झूठे तथ्यों पर आधारित वाद न्यायलय मे प्रस्तुत किया है जो खारीज होने योग्य है। मौके पर वादी ने अपनी आराजी की पत्थरगढी करवा रखी है तथा पत्थरगढी के निशान को छोड कर प्रतिवादी ने अपने स्वंय के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आ.नं. 2365 की पाली पर अपने पूर्वज बावजी को बिठाने हेतु चबुतरा निर्माण करवाया है जिसके लिये वादी को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं है प्रतिवादी वादी की आराजी में कोई दखलंदाजी नहीं कर रहा है।

4– वाद पत्र की कलम नं. 4 का जवाब इस प्रकार है कि मौके पर वादी की आराजी की पत्थरगढी के जो निशान है वहीं से प्रतिवादी की आराजी की सीमा प्रारम्भ हो जाती है तथा प्रतिवादी ने पत्थरगढी के निशान वादी की ओर छोडते हुए प्रतिवादी ने अपने खातेदारी की आराजी में नींव खुदवाई एवं चबुतरा निर्माण करवाया है जिससे वादी को किसी प्रकार की आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। प्रतिवादी ने वादी की आराजी में किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी आज तक नहीं की है इसलिये वादी के उक्त वादी लाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी वादी ने फालतु में ही अपने मन में प्रतिवादी की आराजी में नाजायज कब्जा करने की नियत रखते हुए यह मिथ्या वाद इस लिये प्रस्तुत किया है कि अगर प्रतिवादी चबुतरा बनवा लेता है तो प्रतिवादी की आराजी की सीमा हमेशा के लिये स्थाई रूप से निश्चित हो जायेगी और प्रतिवादी की आराजी में धीरे धीरे आगे बढते हुए वादी का जो कब्जा करने का मकसद है वो पुरा नहीं हो सकेगा।

5– वाद पत्र की कलम नं. 5 गलत होकर अस्वीकार है। वादी प्रतिवादी को किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का अधिकारी नहीं है क्यों कि प्रतिवादी ने तो वादी की आराजी में कोई दखलदाजी कर रहा है न ही वादी की आराजी में किसी प्रकार का निर्माण करवा रहा है। वादी की सम्पूर्ण आराजी वादी के कब्जे काश्त में है तथा वादी ही उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है उसमें प्रतिवादी का कोई हस्तेक्षेप नहीं है।

6– यह कि वाद पत्र की कलम नं. मिथ्या होकर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है प्रतिवादी के विरूद्ध ऐसा कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद सव्यय निरसत फरमाया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादी को जरिये सम्मन से तलब किया गया । प्रतिवादी की ओर से श्री एल. एस. झाला अधिवक्ता द्वारा पावर व जबाव पेश किया गया । तनकीयात कायम की गई। तनकीयात निम्न प्रकार कायम की गई।

1– आया कि प्रतिवादी को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी पर कोई रिहायशी या अन्य कच्चा यो पक्का निर्माण नहीं करे न करावे। किसी प्रकार की दखलदांजी नही करे न करावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:22:46 IST
Reason: SelfAttested

– वादी

सहायक कलेक्टर
वड़ीसादड़ी

2– आया कि यदि दौराने सुनवाई वाद प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी पर कच्चा पक्का निर्माण कार्य कर लेवे तो उसे अधिदेशक निषेधाज्ञा से प्रतिवादी के खर्चे से तुड़वाया जावे। वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी ने जो निवें पक्की कर दी है उन्हें प्रतिवादी के खर्चे से हटवाया जावे।

– वादी

3– आया कि प्रतिवादी ने चबुतरे का निर्माण अपने हक हिस्से के अन्दर बनाया है। इसलिये वादी को उक्त चबुतरे को हटाने का अधिकार नहीं है।

– प्रतिवादी

तनकीवार विवेचना निम्न प्रकार है :–

1– आया कि प्रतिवादी को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी पर कोई रिहायशी या अन्य कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नहीं करे न करावे। किसी प्रकार की दखलदांजी नही करे न करावें।

– इस तनकी के तहत यह देखा जाता है कि प्रतिवादी ने क्या अवैध निर्माण किया है एवं यदि अवैध निर्माण किया है तो वादी उसके विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी रहता है । इस संबंध में वादी छोगालाल स्वयं PW-1 के रूप मे परीक्षित हुआ है और उसने अपने सशपथ बयानों में यह पुष्टि की है कि प्रतिवादी ने अपनी आराजी में निर्माण नहीं कर 18.–20 फीट लम्बाई में जेसीबी से नीचे खोदकर दीवार बना दी जबकि पत्थरगढी के निशान मौके पर मौजूद थे। दस्तावेजी साक्ष्य में खाते की नकल, नक्शा ट्रेस, फोटोग्राफ आदि तथा कमिशनर रिपोर्ट प्रदर्शित कराई गई। कमिश्नर रिपोर्ट मुताबिक दीवार 18 फीट लम्बाई एवं 18 इंच चौड़ाई में प्रतिवादी द्वारा बनाई जाना जाहिर आया है जो 2 फीट उंचाई में है तथा यह दीवार प्रतिवादी की भूमि में नहीं होना भी जाहिर है। इसके विपरीत प्रतिवादी लालूराम ने ना तो कोई साक्ष्य पेश की ना ही वह अपने समर्थन में कोई साक्षी लेकर उपस्थित रहा है बल्कि उसमें विरोध कार्यवाही एकपक्षीय रहने से यह उपधारणा बनती है कि उसे वाद पत्र के तथ्य मंजुर है। अतः यह तनकी वादी साबित करने में सफल रहा है एवं वादी के पक्ष में तय की जाती है ।

2– आया कि यदि दौराने सुनवाई वाद प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी पर कच्चा पक्का निर्माण कार्य कर लेवे तो उसे अधिदेशक निषेधाज्ञा से प्रतिवादी के खर्चे से तुड़वाया जावे। वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी ने जो निवें पक्की कर दी है उन्हें प्रतिवादी के खर्चे से हटवाया जावे।

– इस तनकी के तहत यह देखा जाता है कि दौराने सुनवाई दावा अवैध निर्माण होने पर उसे जरिये अधिदेशक निषेधाज्ञा हटाने का वादी अधिकारी है। चूंकि दावा दिनांक 28.03.2016 को प्रस्तुत हुआ एवं वाद प्रस्तुति के समय नीचे खोदे जाना वादी ने वादपत्र में जाहिर किया जिसके बाद पत्रावली में प्रस्तुत फोटोग्राफ प्रदर्श 4 लगायत प्रदर्श 8 से प्रकट है कि नीवों से पत्थगढी की चुनाई की जा रही है जिसमें वाद कमिशनर रिपोर्ट दिनांक 06.05.2021 को आई । एल आर बोहेड़ा द्वारा बनाई गई कमिशनर रिपोर्ट प्रदर्श 9 के रूप में पत्रावली पर प्रदर्शित है, से जाहिर है कि उक्त दीवार दो फीट उंचाई में पक्की बन चुकी है अतः यह स्पष्ट प्रमाणित है कि दावा प्रस्तुति के बाद प्रतिवादी ने दो फीट उंचाई में 18 फीट लम्बाई तक दीवार बनाई है, इस प्रकार तनकी नं. 2 वादी अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है तथा इसे हटाने का अधिकारी रहता है।

3– आया कि प्रतिवादी ने चबुतरे का निर्माण अपने हक हिस्से के अन्दर बनाया है। इसलिये वादी को उक्त चबुतरे को हटाने का अधिकार नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar
Meena
Date: 2026.03.27 10:22:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

–यह कि उक्त तनकी दो साबित करने का भार प्रतिवादी पर था किन्तु इस संबंध में प्रतिवादी ने स्वयं उपस्थित रहकर कोई साक्ष्य मौखिक या दस्तावेजी प्रस्तुत करने में असफल रहा है। अतः संबंधित साक्ष्य के अभाव में यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जाती है।

साक्ष्यवादी में छोगालाल व जगदीश के शपथ पत्र पेश हुये । पत्रावली की आदेशिका दिनांक 25.11.2025 के अनुसार वकील प्रतिवादी अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी गयी ।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । वकील वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा बोहेड़ा हल्का बोहेड़ा की आराजी नं. 4647/2362 रकबा 6 बिघा 18 बिस्वा पर प्रतिवादी कोई रिहायशी या अन्य कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नहीं करे न करावे, वादी को वादग्रस्त आराजी का उभयोग उपभोग करने देवे इसमें किसी प्रकार कि दखलदांजी नहीं करे न करावे। यदि दोराने सुनवाई वाद प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी पर कच्चा पक्का निर्माण कार्य कर लेवे तो उसे अधिदेशक निषेधाज्ञा से प्रतिवादी के खर्चे से तुड़वाया जावे।

इसी अनुसार अंतिम डिक्री बनायी जावे।
निर्णय आज दिनांक 23.12.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:22:46 IST
Reason: SelfAttested